

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1.अपील संख्या 1285 / 2006 / अलवर

2.अपील संख्या 1286 / 2006 / अलवर

सहायक आयुक्त

प्रतिकरापवंचन—प्रथम, अलवर अपेपुर
बनाम

मैसर्स आर.के.कन्सट्रक्शन कम्पनी
अलवर

अपीलार्थी

प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य
श्री अमर सिंह, सदस्य

उपस्थित

श्री वैभव कासलीवाल
उप राजकीय अभिभाषक
श्री रामकरण सिंह
अभिभाषक
निर्णय दिनांक: 29.05.2014

अपीलार्थी की ओर से
प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

अपेपुर

ये दोनों अपीलें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन—प्रथम, अलवर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अतिरिक्त आयुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, राज.जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा क्रमांक 475 / अतिआ(अपील) / आरएसटी / 32 / 2003-04 एवं क्रमांक 474 / अतिआ (अपील) / आरएसटी / 25 / 2003-04 में पारित पृथक—पृथक निर्णय दिनांक 16.11.2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं। दोनों अपीलों समान में बिन्दु निहित होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियों दोनों पत्रावलियों पर पृथक—पृथक रखी जाये।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी एक ठेकेदार है एवं उसके द्वारा आलोच्य अवधि 2002-03 एवं 2003-04 में सड़कों का निर्माण कार्य संविदा के अन्तर्गत सरकारी विभागों का किया गया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में राजस्थान के बाहर से डामर, इमल्शन एवं एलडीओ आदि मंगाए गए हैं। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त माल राज्य के बाहर से स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश किया जाना मानते हुए राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (जिसे आगे प्रवेश कर अधिनियम कहा जायेगा) के अन्तर्गत आलोच्य अवधियों के कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.01.2004 को पारित करते हुए प्रवेश कर के रूप में क्रमशः रु. 4,02,020/- व रु. 8,17,982/- तथा शास्ति क्रमशः रु. 6,03,030/- एवं रु. 12,26,973/- आरोपित की तथा वक्त कर निर्धारण तक कर राशि राजकोष में जमा नहीं होने के कारण अन्य शास्तियों क्रमशः रु. 36,180/- एवं रु. 2,45,395/- आरोपित की। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित प्रवेश कर एवं शास्तियों के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने प्रवेश कराए गए माल

Sally

[Signature]

बिटुमन एवं इमल्शन पर किये गये करारोपण को अपास्त कर एलडीओ पर किये गये करारोपण का अनुमोदन किया है। तत्पश्चात अपीलीय अधिकारी ने उपरोक्त प्रकार से निर्णयों में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 37 के अन्तर्गत पृथक—पृथक संशोधन निर्णय दिनांक 27.02.2006 पारित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा डीएलओ पर किये गये कर आरोपण रु. 35,015/- एवं रु. 79,595/- की पुष्टि की गई है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 17 (2)(11) के अन्तर्गत शास्ति संयुक्त रूप से कमशः रु. 36,180/- एवं रु. 2,45,395/-आरोपित की है, जिनमें संशोधन करते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा निष्कर्ष दिया है कि कुल पण्यावर्त का जो हिस्सा एलडीओ की प्रवेश कर की राशियों से सम्बन्धित है उसी सीमा तक कर निर्धारण अधिकारी करारोपण करने के लिए स्वतंत्र है एवं अधिनियम की धारा 12(5) के अन्तर्गत एलडीओ पर आरोपित शास्तियों का अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2005 एवं अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 27.02.2006 से क्षुब्ध होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से उपरोक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलीर्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अतिरिक्त आयुक्त (विधि) ने प्रवेश कर अधिनियम की धारा 24(1) सपठित धारा 45 के अन्तर्गत पत्र कमांक 2775 दिनांक 28.2.2006 के विरुद्ध सीधे ही विवादित आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 83(3) के अन्तर्गत अपील पेश करने के निर्देश दिए हैं। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 31.1.2004 के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष पेश की गई उन्होंने स्वीकार की है, क्योंकि राज्य के बाहर से आयात किये गये बिटुमन, इमल्शन एवं एल डी ओ प्रवेश कर योग्य है और प्रत्यर्थी व्यवहारी ने उक्त प्रविष्टियों को अपने बिक्री विवरण पत्र में जानबूझकर नहीं दर्शाया है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने, आयातित बिटुमन एवं इमल्शन पर जो करारोपण कर निर्धारण अधिकारी ने किया था उसे अतिरिक्त आयुक्त (वैट) द्वारा बोहरा एण्ड कम्पनी में पारित निर्णय के प्रकाश में अपास्त किया है, जो उचित नहीं है। उन्होंने कर निर्धारण आदेशों को विधिक बताते हुए प्रस्तुत अपीलें स्वीकार कर अपीलाधीन आदेशों को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से जो बिटुमन, इमल्शन इत्यादि मंगाया गया है वह सड़क निर्माण के काम में लिया गया है तथा सड़क निर्माण में जो बिटुमन हस्तानान्तरित होता है उस पर प्रत्यर्थी व्यवहारी ने विमुक्ति शुल्क की अदायगी की है। उनका कथन है कि एक बार कर की अदायगी हो जाने के पश्चात पुनः उसी वस्तु पर करारोपण विधि के

—
Signature

—
Signature

प्रावधानों के विरुद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सम्पूर्ण ठेका राशि पर उसके द्वारा 1.73 प्रतिशत के दर से कर अदा किया गया है। उन्होंने कथन किया कि हस्तगत प्रकरण के विवादित बिन्दु पर अतिरिक्त आयुक्त (वैट) वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान द्वारा मैसर्स भवन पथ निर्माण (बाहरा) एण्ड कम्पनी,बाडमेर एफ. 4डी(40)(53)Kar Dar / ACCT / 2002 / 1419 दिनांक 28.05.2003 के प्रकरण में दिये गये निर्णय से पूर्णतः आच्छादित है। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 327 / 2004 / उदयपुर मैसर्स सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम अतिरिक्त आयुक्त,वाणिज्यिक कर,राजस्थान, जयपुर निर्णय दिनांक 22.06.2005 एवं अपील संख्या 328 / 2004 / उदयपुर मैसर्स पी. बी.ए.इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,उदयपुर बनाम अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर राजस्थान,जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 22.06.2005, अतिरिक्त आयुक्त (वैट) वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान द्वारा मैसर्स भवन पथ निर्माण (बाहरा) एण्ड कम्पनी,बाडमेर एफ. 4डी(40)(53)Kar Dar / ACCT / 2002 / 1419 दिनांक 28.05.2005(2003) 5 आरएसटीआर-जे-11(ACCT), अतिरिक्त आयुक्त (वैट) वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान द्वारा मैसर्स भवन पथ निर्माण (बाहरा) एण्ड कम्पनी,बाडमेर एफ. 4डी(40)(27)Kar Dar / ACCT / 2002 / 1370 दिनांक 28.05.2005 (2003) 5 आरएसटीआर-जे-13(ACCT), राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा 323 / 2009 / जयपुर सहायक आयुक्त,विशेष वृत, राजस्थान, जयपुर बनाम मैसर्स एम. एम.टी.सी.लि.जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 18.07.2011, माननीय मंद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पेस्सीको इण्डिया होल्डिंग प्रा.लि. बनाम आयुक्त,वाणिज्यिक कर, चेन्नई एवं अन्य (2010)29 वीएसटी 214 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील नम्बर 5134-5135 / 2002 मैसर्स श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल बनाम स्टेट आफ तमिलनगुड में दिये गये निर्णय दिनांक 21.04.2009 को प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथां प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरणों में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से तीन वस्तुएँ डामर, इमल्शन एवं एलडीओ मंगाये गये हैं अर्थात् इनका प्रवेश राज्य के भीतर किया गया है, उपरोक्त तीनों वस्तुओं पर आलोच्य अवधि में, जो करारोपण किया गया है, उसको विवादित किया गया है।

डामर एवं इमल्शन सडक निर्माण के दौरान हस्तान्तरित होते हैं परन्तु एलडीओ मात्र डामर को गम करने के काम आता है। एलडीओ सम्पत्ति के रूप में हस्तान्तरित नहीं किया जाता है वह ईधन के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर

से अतिरिक्त आयुक्त (वैट) वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा मैसर्स भवन पथ निर्माण (बाहरा) एण्ड कम्पनी, बाडमेर एफ.4डी(40)(27)Kar Dar / ACCT / 2002 / 1370 दिनांक 28.05.2005 (2003) 5 आरएसटीआर-जे-13(ACCT) को उद्धरित किया गया है, जिसमें बिटुमन को आधार मानते हुए निर्णय दिया है, जिसका सारगर्भित अंश उद्धरित किया जाना समीचीन होगा :—

"I have heard both the parties and perused the record of the case. In the present case, the applicant has paid prescribed exemption fee in lieu of tax under rule 12 of RST rules 1995 so there is no further need for him to pay tax separately on the taxable Bitumen being used in the execution of the works contract. The exemption fee is equivalent to tax required to be paid by him under the Act. So it may be concluded that as soon as the exemption fee is deposited, no further compliance of any condition is needed in the matter. Thus a situation of deemed compliance of all the conditions arises and it may be assumed that the applicant has complied with all the conditions of the notification applicable to him. So I am of the view that for a works contractor, who opts and pays exemption fee under rule 12. Then regarding Bitumen he is entitled to avail exemption of entry tax on Bitumen under notification No. F-4(30)FD/Tax-Div./2002-190
Dated 22 March 2002.

अतिरिक्त आयुक्त (वैट) वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान जयपुर के उपरोक्त निर्णय के आधार पर व्यवहारी पर बिटुमन एवं इमल्शन पर जो करारोपण किया गया है उसे उन्होंने अवैधानिक माना है। अतिरिक्त आयुक्त (वैट) वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान के द्वारा पारित निर्णय कर निर्धारण अधिकारियों के लिए बाध्यकारी है और उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध निर्वचन करने के लिए कर निर्धारण अधिकारी सक्षम अधिकारी नहीं है क्योंकि विवादित प्रश्नों के हल का अधिकार राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त आयुक्त (वैट) वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान को दिया हुआ है।

अतिरिक्त आयुक्त (वैट) वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान के उपरोक्त निर्णय के आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश 16.11.2005 पारित किया गया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता यह पीठ अनुभव नहीं करती है, इसलिए बिटुमन एवं इमल्शन पर किये गये करारोपण के बिन्दु पर अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत गई अपील अस्वीकार की जाती है।

इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत संशोधन आदेश दिनांक 27.02.2006 पारित किया है, जिसमें उन्होंने निष्कर्ष दिया है कि “कर निर्धारण अधिकारी द्वारा डीएलओ पर किये गये कर आरोपण रु. 35,015/- एवं रु. 79,595/- की पुष्टि की गई है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 17 (2)(ii) के अन्तर्गत शास्ति संयुक्त रूप से कमशः रु. 36,180/- एवं रु. 2,45,395/- आरोपित की है, जिनमें संशोधन करते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा निष्कर्ष दिया है कि कुल पण्यावर्त का जो हिस्सा एलडीओ की प्रवेश कर की राशियों से सम्बन्धित है उसी सीमा तक कर निर्धारण अधिकारी करारोपण करने के लिए स्वतंत्र है एवं अधिनियम की धारा 12(5) के अन्तर्गत एलडीओ पर आरोपित शास्तियों का अपास्त किया है।” अपीलीय अधिकारी का उक्त निष्कर्ष विधिक एवं उचित होने से यह पीठ उक्त निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं समझती है। फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर दिये गये निष्कर्ष की पुष्टि की जाती है।

फलतः प्रकरणों का उपरोक्तानुसार निस्तारण करते हुए कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत की गई दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(अमर सिंह)

सदस्य

29-5-14

(सुनील शर्मा)

सदस्य